अलवर (राज०)

15/7/24 कलक्टर महोदयजी के द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी को अनुकम्पा आधार पर बार-बार कार्यालय बुलाया गया लेकिन उपयुक्त नहीं हुआ। अतिरिक्त आवेदन के रूप में 5.30 करोड़ दिलवाने पर भी प्रार्थी को प्रार्थी की पत्नी को उपयुक्त नहीं होने पर स्थानीय प्रशासन, अडक चौकी एवं अडक पंचायत में व्यक्तिगत रूप से मानता है महोदयजी मुझको दुबारा होकर आर्थिक हानि हुई है।

कलक्टर
अलवर